भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 702
उत्तर देने की तारीख : 26.07.2023

सेज पोर्टल और सेक्रेड पोर्टल के परिणाम

702. **श्री कार्तिकेय शर्मा:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सेज (सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पोर्टल के अपेक्षित परिणाम क्या हैं और बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान का प्रस्ताव करने के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत क्या वितीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) सेक्रेड (सीनियर एबल सिटिजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी) पोर्टल का ब्यौरा क्या है और कतिपय पदों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को निजी उद्यमों से जोड़ने में इसकी क्या भूमिका है;

(ग) इस मंच पर वरीयताओं का आभासी मिलान किस प्रकार कार्य करता है;

(घ) क्या सरकार ने बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ड.) वर्ष 2026 और वर्ष 2050 तक बुजुर्गों की जनसंख्या में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस जनसांख्यिकी परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): सेज (एसएजीई) पोर्टल "रजत अर्थव्यवस्था" में प्रवेश के लिए उद्यमियों तथा स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करेगा और इस प्रकार व्यवसाय नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ विश्वसनीय स्टार्ट-अप्स द्वारा वृद्धजन हेतु देखभाल उत्पादों तथा सेवाओं के लिए "वन स्टॉप पहुंच" उपलब्ध कराएगा। सेज स्कीम उत्पादों, समाधानों तथा सेवाओं की पहचान, मूल्यांकन, सत्यापन तथा समेकन करके हितधारियों के लिए सीधे ही वितरण करती है। सरकार सुविधा प्रदायक के रूप में कार्य करती है जिससे इन चिन्हित स्टार्ट-अप्स के माध्यम से वृद्धजन उत्पादों तक सुलभता से पहुंच पाते हैं। चयनित स्टार्ट-अप्स/स्टार्ट-अप आइडिया को आईएफसीआई के माध्यम से प्रति परियोजना एक करोड़ रुपए तक इक्विटी सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्टार्ट-अप में कुल सरकारी इक्विटी 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) और (ग): स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए की गई सिफारिशों के अनुसार, वरिष्ठ कार्यक्षम नागरिक गरिमामय पुन:रोजगार (सैकर्ड) पोर्टल का शुभारंभ किया गया था जिसके अंतर्गत नामजद पोर्टल पर 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के पंजीकरण की अनुमति होगी ताकि वे रोजगार एवं कार्य अवसरों की तलाश कर सकें। इस प्रकार कतिपय पदों के लिए निजी उद्यमियों से जुड़ने हेतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मंच उपलब्ध कराने से प्राथमिकताओं के आभासी सुमेल द्वारा लोग एक दूसरे के निकट आएंगे।

(घ) और (ड.): जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 10.38 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत सरकार के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की भारत तथा इसके राज्यों के जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की जुलाई, 2020 में जारी जनसंख्या रिपोर्ट (2011-2036) में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2036 में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 22.7 करोड़ होने का अनुमान है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 15% होगी।

(च): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित, अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) की अम्ब्रैला स्कीम, में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, आश्रय, कल्याण आदि उपलब्ध कराने संबंधी स्कीमें शामिल हैं। इस स्कीम के विभिन्न घटकों का सार निम्नवत हैं।

(i) **एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)** – इस घटक के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों, में बुनियादी सुविधाएं यथा आश्रय, भोजन, चिकित्सा, मनोरंजन सुविधाएं आदि निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं। इनके संचालन तथा रखरखाव के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(ii) **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी)** – इस घटक के अंतर्गत प्रशिक्षित जरारोग सेवा प्रदायकों का पूल बनाने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष मोतियाबिंद अभियान चलाने तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ, विशेषकर निराश्रितों के लिए, किसी अन्य राज्य मूलक कार्यकलाप के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(iii) **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)** - इस घटक के अंतर्गत आयु से संबंधित दिव्यांगता/विनिर्योग्यता से पीड़ित पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक यंत्र उपलब्ध कराने के लिए है ताकि उनके शारीरिक कार्यों में सामान्य व्यवस्था बहाल हो सके तथा दिव्यांगता/विनिर्योग्यता पर काबू पाया जा सके।

(iv) **एल्डरलाइन: राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (एनएचएससी) – टोलफ्री नंबर 14567** – इस घटक का उद्देश्य नि:शुल्क सूचना, मार्गदर्शन, भावनात्मक सहयोग तथा दुर्व्यवहार तथा बचाव के मामलों में फील्ड इंटरवेंशन उपलब्ध कराना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

(v) **सीनियर-केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजी)** – इस घटक का उद्देश्य वृद्धजनों की समस्याओं के बारे में विचार करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना, वृद्धजनों की देखभाल के लिए नवीनतम विचार प्रस्तुत करना तथा इक्विटी सहायता प्रदान करके युवाओं को स्टार्टअप हेतु प्रोत्साहित करना है।

******